न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–16 / 2020

डोमनी देवी.....वादिनी

बनाम

लखिया देवी वगैरह.....प्रतिवादीगण

17.04.25 अभिलेख आज प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से प्रतिवादपत्र में संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–19.02.2025 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–28.02.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने यह निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं0–1 ता 7 प्रथम पक्ष की ओर से दिनांक–24.11.2020 को प्रतिवादपत्र दाखिल हुआ जो दिनांक–05.01.2021 को स्वीकृत हुआ, जिस प्रतिवादपत्र में दृष्टिचूक के कारण कुछ विसंगतियां हुई हैं एवं कुछ तथ्य विधि के संदर्भ में प्रतिवादपत्र में अंकित होना छुट गया है जिसे न्याय–निर्णयन हेतु प्रतिवादपत्र में सम्मिलित होना आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति के हैं जिससे वाद की प्रकृति वो वाद–विषय प्रभावित नहीं होगी और न ही प्रतिवादीगण का हित प्रभावित होगा, बल्कि वाद में वर्णित अंतर्वलित प्रश्नों के अवधारण हेतु प्रस्तावित संशोधन अपेक्षित है, चूँकि वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित है और प्रतिवादी की ओर से साक्षी सूचि एवं कागजात दाखिल हुआ है जो प्रस्तावित संशोधन वाद–विषय से संबंधित है। अतः निवेदन है कि इस संशोधन आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित संशोधन के अनुरुप प्रतिवादपत्र में संशोधन करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

वादी ने अपने प्रत्युत्तर के माध्यम से प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन को विधि एवं तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं होने के कारण खर्चा सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादी साक्ष्य हेतु लंबित है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष का अपने आवेदन में प्रतिवादी पत्र में कुछ तथ्य गलत टंकित होने और कुछ नए तथ्य का जोड़े जाने के कारण अपने प्रतिवाद–पत्र में संशोधन करने का निवेदन किया गया है तथा चूँकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने उपरोक्त संशोधन को स्वीकृत किए जाने के पश्चात् अपना साक्ष्य को बन्द किए जाने का निवेदन किया है और अभिलेख को प्रतिवादी बहस पर नियत जाने का कथन किया है। अतः प्रतिवादी प्रथम पक्ष का प्रस्तावित संशोधन अपने प्रतिवादपत्र में किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन एवं उभय पक्षों के मध्य विवादित प्रश्नों के अभिनिर्धारण हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल उपरोक्त प्रस्तावित संशोधन न्यायहित में स्वीकृत करते हुए उनका साक्ष्य बन्द किया जाता है तथा अभिलेख को प्रतिवादी बहस हेतु नियत किया जाता है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर प्रतिवाद–पत्र में अपना प्रस्तावित संशोधन दर्ज करते हुए अपना बहस अविलंब प्रस्तुत करें।

अभिलेख दिनांक– 30-04-2025 वास्ते करने संशोधन वादपत्र में एवं प्रतिवादी बहस हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,

शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।